



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 3365-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2015-2-विविध/02ब/2015

दिनांक: 14 सितम्बर, 2015

शुद्धि-पत्र

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3293-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2015, दिनांक 07.09.2015 द्वारा पोषक संवर्ग की एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन/प्रोन्नति पुनर्व्यस्थित/विनियमित किये जाने विषयक निर्गत आदेश के स्तम्भ सं0-05 को निम्नवत् पढ़ा जाए:-

क्रम सं0	नाम/सम्प्रेक्षा सं0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/पुनर्व्यस्थित प्रोन्नति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नरेन्द्र गुप्तरिशी 9128/बरेली 31.03.2025/जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद पारिषण खण्ड, कानपुर।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 25.01.2014
2.	मुनीन्द्र कुमार (अनु0जा0) 9132/इटावा 31.08.2025/जानपद अधिशाली अभियन्ता सम्बद्ध विद्युत जानपद पारिषण मण्डल, मुरादाबाद।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 25.01.2014
3.	शत्रुघ्न राम (अनु0जा0) 9134/बलिया 31.05.2027/जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद), विद्युत पोल निर्माण खण्ड, वाराणसी।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 25.01.2014
4.	अविनाश चन्द्रा (अनु0जा0) 9136/आगरा 31.08.2026/जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद वितरण खण्ड, गाजियाबाद।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 25.01.2014
5.	श्रीयुत श्री कृष्ण (अनु0जा0) 9504/सीतापुर 31.08.2016/जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद वितरण खण्ड, गोरखपुर।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 25.01.2014

शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को लि0, कानपुर एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने निगम में कार्यरत कार्मिकों को अवमुक्त कराकर, उनके नियन्त्रक अधिकारी अथवा अपने कार्यालय से सम्बद्ध करेंगे तथा उक्त कार्मिकों की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्वि-सदस्यीय समिति का यथावाँछित अनुमोदन प्राप्त कर, उक्त कार्मिक की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
- 4- समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 8- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

अज्ञा से,
(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव

राम